JUSTIFICATION

म0प्र0 शासन वन विभाग द्वारा धार जिले के वन मण्डल धार अंतर्गत 34812.177 हे0 क्षेत्र को सरदारपुर अभयारण्य के रूप में वन्यप्रणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अंतर्गत वर्ष 1983 में अधिसूचित किया गया था। इस अभयारण्य के अंतर्गत 14 ग्रामों की 34812.177 हे0 निजी एवं शासकीय राजस्व भूमि सम्मिलित की गई थी।

विगत दस वर्षो में देखे गये खरमोर पक्षी की जानकारी एवं दर्शित स्थलों का अवलोकान करने पर यह परिलक्षित होता है कि विगत दस वषों से अभयारण्य में निहित 14 ग्रामों की निजी एवं शासकीय राजस्व भूमि में खरमोर पक्षी नहीं देखे गये अथवा उक्त क्षेत्र में खरमोर पक्षी नहीं आये। जबकी सरदारपुर अभयारण्य क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र कक्ष कमांक पी–422, पी–423, पी–437, पी–438, पी–439, पी–445 में विगत वर्षो में खरमोर पक्षी आये व देखे गये। संभवतः कृषि तकनीकी के बदले प्रयोगो के फलस्वरूप खरमोर पक्षी के आवास स्थलो में हुये परिवर्तन के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।

जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा उक्त के संबंध में बार–बार पत्राचार किये जाने के पश्चात प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में अधिसूचना कमांक 2410–दस–2–83 दिनांक 04 जून 1983 (म0प्र0 राजपत्र दिनांक 24 जून 1983 में प्रकाशित) द्वारा 34812.177 हे0 अधिसूचित राजस्व ग्रामों की निजी राजस्व भूमि को डि–नोटिफाई कर वनक्षेत्र जहां खरमोर पक्षी देखे गये क्षेत्र 1682.203 हे0 को खरमोर अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव तैयार किये गये है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल धार

Scanned by CamScanner